कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती

(जिला बस्ती राज्य, उत्तर प्रदेश)

पत्र संख्या/मान्यता/ 14741-43 /2017–18 दिनांक– 30.12.2017

प्रबन्धक,
राजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल सिटी इण्टरनेशनल स्कूल,
सांऊघाट, बस्ती।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,
आपके तारीख ......31-8-2017...... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै राजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल सिटी इण्टरनेशनल स्कूल सांऊघाट, बस्ती को तारीख 01 अप्रैल 2017 से तारीख 31 मार्च 2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करनें के संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010(उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–2 के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करनें के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेसन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   (क) प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निस्कासित नही किया जायेगा।
   (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   (ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोइ बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   (घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येंक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (ड़) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   (च) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्त यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नही है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूतम अर्हताऐ अर्जित करेगें।
   (छ) अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रिया–कलापों में नियोजित नही करेगे।
7. विद्यालय समुचित प्रधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों का बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गयी प्रासुविधाऐं निम्नानुसार है–
   (क) विद्यालय परिसर का परिक्षेत्र उपलब्ध है।

(ख) क्रीडा स्थल उपलब्ध है।
(ग) कक्षाओं की संख्या 08 कमरा।
(घ) प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष है।
(ड़) बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय है।
(च) पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।
(छ) मिड डे मील पकाने के लिए रसोई है।
बाधा रहित पहुॅच है।
(ज) अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेल कूद उपस्करों /पुस्कालय की उपलब्धता है।

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उससे बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नही चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्याक–कोड–BST-**UPS(1-8)E/17/35है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता हैं जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करनें के लिए जारी किये जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. उपरोक्त मान्यता संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर एवं संबंधित प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र के अधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवदीय

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती

पृष्ठ संख्या व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) गोरखपुर/बस्ती मण्डल।
2. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–बस्ती।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती